(140)

श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, जिला

रीवा म०प्र०

R 5054-II/16 प्रकरण क्रमांक

Rs. 30/-

1-सरपंच ग्राम पंचायत दात्रि बरगवां, ... जनपद देवसर जिला सिंगरौली

म०प्र०

2- सचिव, ग्राम पंचायत दात्रि बरगवां, जनपद पंचायत देवसर जिला

सिंगरौली म०प्र० ---------- आवेदकगण/निगराकारगण

विरुद्ध

अधिवक्ता श्री रामाधार शुक्ला, द्वारा पेश। 6-10-16

1-शमशेर अली खान पिता आशिक अली खान निवासी ग्राम बरगवां,

तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०

राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किल कोर्ट) रीवा

2 शासन म०प्र० -------- अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त

महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण

क्रमांक 85/ पुनर्विलोकन /2015-16 में पारित

आदेश दिनांक 9-9-2016ई०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व

संहिता सन 1959ई०

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5054–दो/16 निगरानी जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 85/15–16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनॉक 14–10–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनॉक 9–9–2016 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 85/15–16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनॉक 14–10–15 से पुनरावलोकन स्वीकार किया है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में व्यवस्था दी गई है– च. अपील – यदि पुनर्विलोकन का आवेदन खारिज कर दिया जाए तब धारा 46 के खंड (ख) के अनुसार कोई अपील नहीं हो सकेगी। परन्तु जब पुर्नविलोकन में किसी आदेश को फेरफारित कर दिया जाय अथवा उलट दिया जाये, तब संहिता की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार प्रथम तथा द्वित्तीय अपीलें उसी प्रकार हो सकेंगी जिस प्रकार किसी मूल आदेश के विरूद्व होती है। इस प्रकार की अपील में अपील न्यायालय केवल यह देख सकता है कि पुनर्विलोकन के आधारों में से एक या अनेक का अस्तित्व था या नहीं। स्पष्ट है कि संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी उक्त नियमों के कारण प्रचलन–योग्य नहीं है। निरस्त की जाती है। सदस्य	